

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान... सिंदपुर

दिनांक :- 29/09/23

— आदेश —

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिंदपुर  
 भू-अभिलेख निरीक्षक सिंदपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान  
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्वय में ग्राम सिंदपुर तहसील कपासन जिला  
 चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 768  
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरासम  
 के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>सिंदपुर</u>	<u>768</u>	<u>लोचनचंद्र पुत्र शिवाना हिस्सा 1/3 जाति मील सा 1/3 खाता</u>	<u>लोचनचंद्र पुत्र शिवाना हिस्सा 1/3 जाति मील सा 1/3 खाता</u>

(DR)

पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
 कलेक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
 दिनांक :- 07/10/2023

क्रमांक / 212

- प्रतिलिपी :-
1. तहसीलदार, कपासन को भण्डो कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरासम शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावाये।
  2. प्रार्थी श्री ..... को सूचना दी।
  3. रक्षित पत्रावली।

(DR)

पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.